पंजीकृत संख्या–यू0ए0 / डी0ओ0 / डी0डी0एन0 / 30 / 2009–11
(लाइसेन्स टू पोस्ट विदाउट प्रीपेमेन्ट)

सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

रुड़की

खण्ड–11] रुड़की, शनिवार, दिनांक 09 अक्टूबर, 2010 ई0 (आश्विन 17, 1932 शक सम्वत्) [संख्या–41

विषय–सूची

प्रत्येक भाग के पृष्ठ अलग–अलग दिये गए हैं, जिससे उनके अलग–अलग खण्ड बन सकें

विषय	पृष्ठ संख्या	वार्षिक चन्दा
		रु0
सम्पूर्ण गजट का मूल्य	–	3075
भाग 1–विज्ञप्ति–अवकाश, नियुक्ति, स्थान–नियुक्ति, स्थानान्तरण, अधिकार और दूसरे वैयक्तिक नोटिस ...	291–297	1500
भाग 1–क–नियम, कार्य-विधियां, आज्ञाएं, विज्ञप्तियां इत्यादि जिनको उत्तराखण्ड के राज्यपाल महोदय, विभिन्न विभागों के अध्यक्ष तथा राजस्व परिषद् ने जारी किया ...	207–208	1500
भाग 2–आज्ञाएं, विज्ञप्तियां, नियम और नियम विधान, जिनको केन्द्रीय सरकार और अन्य राज्यों की सरकारों ने जारी किया, हाई कोर्ट की विज्ञप्तियां, भारत सरकार के गजट और दूसरे राज्यों के गजटों के उद्धरण	–	975
भाग 3–स्वायत्त शासन विभाग का क्रोड़-पत्र, नगर प्रशासन, नोटीफाइड एरिया, टाउन एरिया एवं निर्वाचन (स्थानीय निकाय) तथा पंचायतीराज आदि के निदेश जिन्हें विभिन्न आयुक्तों अथवा जिलाधिकारियों ने जारी किया ...	51–53	975
भाग 4–निदेशक, शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड	–	975
भाग 5–एकाउन्टेन्ट जनरल, उत्तराखण्ड	–	975
भाग 6–बिल, जो भारतीय संसद में प्रस्तुत किए गए या प्रस्तुत किए जाने से पहले प्रकाशित किए गए तथा सिलेक्ट कमेटियों की रिपोर्ट	–	975
भाग 7–इलेक्शन कमीशन ऑफ इण्डिया की अनुविहित तथा अन्य निर्वाचन सम्बन्धी विज्ञप्तियां	–	975
भाग 8–सूचना एवं अन्य वैयक्तिक विज्ञापन आदि ...	–	975
स्टोर्स पर्चेज–स्टोर्स पर्चेज विभाग का क्रोड़-पत्र आदि ...	–	1425

भाग 1

विज्ञप्ति–अवकाश, नियुक्ति, स्थान–नियुक्ति, स्थानान्तरण, अधिकार और दूसरे वैयक्तिक नोटिस

गृह विभाग

कार्यालय ज्ञाप

दिनांक 26 जुलाई, 2010 ई0

संख्या 405/XX(I)/78(193)/पी0पी0एस0–07/2003–अधोहस्ताक्षरी को यह कहने का निदेश हुआ है कि "उत्तराखण्ड पुलिस सेवा नियमावली–2009" के नियम–25 के अन्तर्गत निम्नलिखित, प्रोन्नत पुलिस उपाधीक्षकों को उनके नाम के सम्मुख अंकित तिथि से प्रान्तीय पुलिस सेवा, उत्तराखण्ड में स्थायी किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :–

क्र0सं0	नाम अधिकारी	स्थायीकरण किये जाने की तिथि
1.	श्री खुशी राम भट्ट	01–12–2002
2.	श्री मदन सिंह फर्सवाण	04–05–2009
3.	श्री दिनेश चन्द्र सिंह रावत	04–05–2009
4.	श्री गिरीश चन्द्र बिजल्वाण	04–05–2007
5.	श्री तारादत्त वैला	05–05–2009
6.	श्री रामशरण जयन्त	05–05–2009
7.	श्री धनीराम	06–05–2007
8.	श्री गिरीश चन्द् टम्टा	08–05–2009

आज्ञा से,

राजीव गुप्ता,
प्रमुख सचिव।

न्याय अनुभाग–1

अधिसूचना

नियुक्ति

दिनांक 12 अगस्त, 2010 ई0

संख्या 18 नो0(एल0)/XXXVI(1)/2010–07नो0(एल0)/2009–राज्यपाल, नोटरी अधिनियम, 1952 (अधिनियम संख्या 53, सन् 1952) की धारा 3 के अधीन शक्ति का प्रयोग करके, श्री योगेश कुमार देवल, अधिवक्ता को दिनांक 11–8–2010 से पांच वर्ष की अवधि के लिये जिला नैनीताल की तहसील हल्द्वानी के लिये नोटरी नियुक्त करते हैं और नोटरीज रूल्स, 1956 के नियम 8 के उपनियम (4) के अधीन शक्ति का प्रयोग करके यह भी निदेश देते हैं कि श्री योगेश कुमार देवल, अधिवक्ता का नाम उक्त अधिनियम की धारा 4 के अधीन रखे गये नोटरी पंजिका में प्रविष्ट किया जाय।

आज्ञा से,

श्रीमती इन्दिरा आशीष,
प्रमुख सचिव, न्याय एवं विधि परामर्शी।

In pursuance of the provisions of Clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification **no. 18 no/(L)/xxxvi(1)/2010-07 no(L)/2009,** Dated August 12, 2010 for general information.

NOTIFICATION

Appointment

August 12, 2010

No. 18 no(L)/xxxvi(1)/2010-07no(L)/2009--In exercise of the powers given under section 3 of the Notaries Act, 1952 (Act No. 53 of 1952), the Governor is pleased to appoint Sri Yogesh Kumar Dewal, Advocate as Notary for a period of five years with effect from 11.8.2010 for Tehsil Haldwani, District Nainital and in exercise of the powers given under sub-rule (4) of Rule 8 of Notaries Rules, 1956 also directs that the name of Sri Yogesh Kumar Dewal, Advocate be entered in the Register of Notaries, maintained under Section 4 of the said Act.

By Order,

Smt. INDIRAASHISH,
Principal Secretary Law-cum-L.R.

गृह अनुभाग–1

कार्यालय ज्ञाप

दिनांक 26 अगस्त, 2010 ई0

संख्या 543 / 609 / XX-1 / 10–193 पी0पी0एस0 / 03–अधोहस्ताक्षरी को यह कहने का निदेश हुआ है कि "उत्तराखण्ड पुलिस सेवा नियमावली–2009" के नियम–25 के अन्तर्गत श्री जगदीश चन्द्र आर्य, प्रोन्नत पुलिस उपाधीक्षक को दिनांक 04 मई, 2009 से प्रान्तीय पुलिस सेवा उत्तराखण्ड में स्थायी किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

आज्ञा से,

राजीव गुप्ता,
प्रमुख सचिव।

गृह अनुभाग–3

अधिसूचना

दिनांक 01 सितम्बर, 2010 ई0

संख्या 1217 / XX(3) / 55 / सीबीआई / 2009–राज्यपाल, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (अधिनियम संख्या 49, वर्ष 1988) की धारा 3 की उपधारा (1) सपठित धारा 4 की उपधारा (1), (2) और (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके मा0 उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय, नैनीताल के परामर्श से श्री प्रदीप पन्त, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, तृतीय देहरादून को उनके दायित्वों के अतिरिक्त, उत्तराखण्ड राज्य के समस्त जनपदों अर्थात् देहरादून, पौड़ी, टिहरी, रुद्रप्रयाग, उत्तरकाशी, चमोली, हरिद्वार, नैनीताल, ऊधमसिंह नगर, चम्पावत, बागेश्वर, अल्मोड़ा एवं पिथौरागढ़ के क्षेत्राधिकार के अधीन ऐसे मामलों में, जिनमें केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो द्वारा दिल्ली पुलिस अधिष्ठान अधिनियम, 1946 (अधिनियम संख्या 26, वर्ष 1946) के अधीन जांच के पश्चात् आरोप पत्र प्रस्तुत किया जाय अथवा लम्बित हो, की सुनवाई एवं विचारण हेतु उनके कार्यभार ग्रहण करने की तारीख से विशेष न्यायाधीश, भ्रष्टाचार निवारण (केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो) के रूप में समस्त शक्तियां प्रदान करते हैं।

आज्ञा से,

राजीव गुप्ता,
प्रमुख सचिव, गृह।

In pursuance of the provisions of Clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification **no. 1217/XX(3)-55/CBI/2009**, Dated September 01, 2010 for general information :

NOTIFICATION

September 01, 2010

No. 1217/XX(3)-55/CBI/2009--In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 3 read with sub-section (1), (2) and (3) of section (4) of the Prevention of Corruption Act, 1988 (Act No. 49 of 1988), the Governor, in consultation with the Hon'ble High Court of Uttarakhand at Nainital, is pleased to confer on Shri Pradeep Pant, Additional District and Sessions Judge III, Dehradun, all powers in addition to his regular charge, to hear and try such cases, in which charge sheet is filed after investigation by the Central Bureau of Investigation under the Delhi Special Police Establishment Act, 1946 (Act No. 25 of 1946) or cases which are pending with in the jurisdiction of all the Districts of Uttarakhand, namely Dehradun, Pauri, Tehri, Rudraprayag, Uttarkashi, Chamoli, Hardwar, Nainital, Udhamsingh Nagar, Champawat, Bageshwar, Almora and Pithoragarh from the date of his taking over.

By Order,

RAJIV GUPTA,
Principal Secretary, Home.

पशुपालन विभाग–1

कार्यालय–ज्ञाप

दिनांक 28 जून, 2010 ई0

संख्या 1609/XV–1/7(1)/2010–निराश्रित गौवंशीय पशुओं को भरण पोषण एवं प्रबन्धन, चिकित्सीय परामर्श, मृत गौवंश का शव परीक्षण एवं अन्य तकनीकी सहयोग हेतु, गंगा खादर, पशुलोक प्रक्षेत्र ऋषिकेश में पशुपालन विभाग के स्वामित्वधीन भूमि पर पशुकल्याण समिति के माध्यम से वृहद गौ सदन (cow sanctuary) स्थापित करने का निर्णय लिया गया है।

उक्त गौ सदन (cow sanctuary) के संचालन हेतु मा0 पशुपालन मंत्री जी की अध्यक्षता में एक प्रबंधन एवं अनुश्रवण समिति निम्नवत् गठित किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :–

1. मा0 मंत्री, पशुपालन, मत्स्य, डेयरी, उत्तराखण्ड शासन	–	अध्यक्ष
2. प्रमुख सचिव, गृह, उत्तराखण्ड शासन	–	सदस्य
3. प्रमुख सचिव/सचिव, पशुपालन, उत्तराखण्ड शासन	–	सदस्य
4. अपर सचिव, पशुपालन, उत्तराखण्ड शासन	–	सदस्य
5. निदेशक, पशुपालन, उत्तराखण्ड	–	सदस्य सचिव
6. अपर निदेशक, पशुपालन (मुख्यालय), उत्तराखण्ड	–	सदस्य

उक्त समिति राज्य स्तरीय समिति होगी जिसकी बैठक प्रत्येक तीन माह में एक बार मा0 अध्यक्ष जी की अनुमति से आयोजित की जायेगी, जो समिति के कार्यों की समीक्षा तथा योजनाओं का अनुश्रवण करेगी।

आज्ञा से,

विनोद फोनिया,
सचिव।

वित्त अनुभाग–8

विज्ञप्ति / स्थानान्तरण

दिनांक 31 अगस्त, 2010 ई0

संख्या 737 / 2010 / 12(120) / XXVII(8) / 10–तात्कालिक प्रभाव से वाणिज्य कर विभाग, उत्तराखण्ड के अन्तर्गत कार्यरत अपर आयुक्त स्तर के अधिकारियों का एतद्द्वारा निम्नानुसार स्थानान्तरण किया जाता है:–

अधिकारी का नाम	वर्तमान तैनाती का पद / स्थान	नवीन तैनाती का पद / स्थान
1. श्री वी0के0 सक्सेना	अपर आयुक्त, वाणिज्य कर, मुख्यालय, देहरादून एवं अतिरिक्त प्रभार अपर आयुक्त (प्रशासन), वाणिज्य कर, मुख्यालय, देहरादून	अपर आयुक्त (ऑडिट), वाणिज्य कर, मुख्यालय, देहरादून
2. श्रीमती कुमकुम गुप्ता	अपर आयुक्त (ऑडिट), वाणिज्य कर, मुख्यालय, देहरादून	अपर आयुक्त, वाणिज्य कर, मुख्यालय, देहरादून एवं अतिरिक्त प्रभार अपर आयुक्त (प्रशासन), वाणिज्य कर, मुख्यालय, देहरादून

उक्तानुसार स्थानान्तरित अधिकारी तत्काल अपनी नई तैनाती के स्थान पर कार्यभार ग्रहण करना सुनिश्चित करेंगे।

आलोक कुमार जैन,
प्रमुख सचिव।

चिकित्सा अनुभाग–2

विज्ञप्ति / नियुक्ति

दिनांक 26 जुलाई, 2010 ई0

संख्या 930 / XXVIII–2–2010–76 / 2006–उत्तराखण्ड पी0एम0एच0एस0 संवर्ग के अन्तर्गत निदेशक (वेतनमान वेतन बैण्ड–4 रु0 37400–67000, ग्रेड वेतन रु0 10,000) के पद पर कार्यरत डा0 हरीश चन्द्र भट्ट को नियमित चयनोपरान्त कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से महानिदेशक, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के पद पर वेतन बैण्ड–4, रु0 37400–67000, ग्रेड वेतन रु0 12,000 पुनरीक्षित वेतनमान HAG 67000(3% वार्षिक वेतन वृद्धि) रु0 79,000 में पदोन्नति प्रदान करने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2–डा0 हरीश चन्द्र भट्ट को 06 माह की विहित परिवीक्षा अवधि में रखा जाता है।

आज्ञा से,

डा0 उमाकान्त पंवार,
सचिव।

वन एवं पर्यावरण अनुभाग–1

विज्ञप्ति / पदोन्नति आदेश

दिनांक 28 जुलाई, 2010 ई0

संख्या 1192 / X–1–4(26) / 2008–श्री श्रीकान्त चन्दोला, भारतीय वन सेवा (1980) को प्रमुख वन संरक्षक, वेतनमान रु0 75,500–80,000 ग्रेड पे शून्य, के पद पर कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से प्रोन्नति प्रदान करते हुए प्रमुख वन संरक्षक, वन्य जीव, नैनीताल के पद पर तैनात किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

विज्ञप्ति/पदोन्नति आदेश

दिनांक 28 जुलाई, 2010 ई0

संख्या 1193/X–1–4(26)/2008–श्रीमती बीना सेखरी, भा0व0से0 (1980) अपर प्रमुख वन संरक्षक (परियोजना) को भारतीय वन सेवा (वेतन) नियमावली 2007 के नियम–11(7) के अन्तर्गत प्रमुख वन संरक्षक के निःसंवर्गीय पद वेतनमान रु0 75,000–80,000 ग्रेड पे शून्य में कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से प्रोन्नति प्रदान करते हुए प्रमुख वन संरक्षक (परियोजना), देहरादून के पद पर तैनात किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

आज्ञा से,

एम0 एच0 खान,
सचिव।

वित्त अनुभाग–1

कार्यालय ज्ञाप

दिनांक 27 अगस्त, 2010 ई0

संख्या 480/XXVII(1)/2010–सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 (2005 का अधिनियम संख्या–22) की धारा 5 व धारा 19 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये श्री राज्यपाल महोदय टेक्निकल ऑडिट सेल के शासन स्तर हेतु निम्नांकित लोक प्राधिकारी इकाईयों के सम्मुख अंकित लोक सूचना अधिकारी, सहायक लोक सूचना अधिकारी एवं अपीलेन्ट अधिकारियों को सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 में निर्दिष्ट कार्यों हेतु लोक सूचना अधिकारी, सहायक लोक सूचना अधिकारी एवं अपीलेन्ट अधिकारी के रूप में अधिसूचित/नामित किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :–

शासन स्तर

क्र0सं0	लोक प्राधिकारी इकाई	लोक सूचना अधिकारी	सहायक लोक सूचना अधिकारी	अपीलेन्ट अधिकारी
1.	टेक्निकल ऑडिट सेल	सहायक अभियन्ता	अवर अभियन्ता	अपर सचिव, वित्त, उत्तराखण्ड शासन

प्रतिबन्ध यह है कि लोक सूचना अधिकारी, सहायक लोक सूचना अधिकारी एवं अपीलेन्ट अधिकारी के रूप में नामित किसी अधिकारी के अवकाश पर रहने या पद रिक्त होने की स्थिति में उनके समकक्ष अधिकारी/पद का प्रभार निर्वहन करने वाले अधिकारी को अधिनियम के प्रयोजन के लिये लोक सूचना अधिकारी, सहायक लोक सूचना अधिकारी एवं अपीलेन्ट अधिकारी माना जायेगा।

उपर्युक्त नामित किये गये लोक सूचना अधिकारी, सहायक लोक सूचना अधिकारी एवं अपीलेन्ट अधिकारी, सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 में उल्लिखित कर्तव्यों एवं दायित्वों के निर्वहन के लिये पूर्णरूप से जिम्मेदार होंगे एवं इस कार्य हेतु उन्हें कोई अतिरिक्त वेतन, भत्ते आदि देय नहीं होंगे।

आज्ञा से,

राधा रतूड़ी,
सचिव, वित्त।

राज्यपाल, सचिवालय, उत्तराखण्ड

कार्यालय ज्ञाप

दिनांक 08 सितम्बर, 2010 ई0

संख्या 1821/जी0एस0(अधिष्ठान)/ई–02/2010–गोपन (मंत्रिपरिषद्) अनुभाग, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या–96/XXI/2008, दिनांक 31 जनवरी, 2008 एवं वित्त (वे0आ0–सा0नि0) अनुभाग–7 के शासनादेश संख्या–77/XXVII(7)/2009, दिनांक 01 मार्च, 2009 में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत राजभवन, उत्तराखण्ड में निजी सचिव, ग्रेड–1

वेतनमान ₹ 7500–250–12000 (पुनरीक्षित वेतनमान, वेतन बैण्ड–2 ₹ 9300–34800 ग्रेड पे–4800) के पद पर कार्यरत निम्नलिखित कार्मिकों को कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से चार वर्ष की नियमित एवं संतोषजनक सेवा पूर्ण करने तथा नॉन–फॅक्शनल वेतनमान की अनुमन्यता पूर्ण करने के फलस्वरूप दिनांक 02 अगस्त, 2010 से निजी सचिव, ग्रेड–1 का नॉन–फॅक्शनल वेतनमान ₹ 8000–275–13500 (पुनरीक्षित वेतनमान, वेतन बैण्ड–3 ₹ 15600–39100 ग्रेड पे–5400) एतद्द्वारा स्वीकृत किया जाता है :–

1. श्री के0 एल0 कौबियाल, निजी सचिव, ग्रेड–1
2. श्री डी0 के0 डोभाल, निजी सचिव, ग्रेड–1

अशोक,
सचिव, श्री राज्यपाल।

राजभवन, राज्यपाल सचिवालय, उत्तराखण्ड

कार्यभार प्रमाणक

दिनांक 01 जनवरी, 2010 ई0

संख्या 2917/अ0स0/व्य0प0/2010–उत्तराखण्ड शासन, कार्मिक अनुभाग–1 के आदेश संख्या 6/तीस–1–2010–12(42)/2001, दि0 1–1–2010 के क्रम में अधोहस्ताक्षरी द्वारा भारतीय प्रशासनिक सेवा के चयन श्रेणी वेतनमान रु0 37,400–67,000 + ग्रेड पे 8700 में दिनांक 01–01–2009 को कार्यभार ग्रहण किया हुआ परिकल्पित किया गया।

अरुण कुमार ढौंढियाल,
आई0ए0एस0।

पी0एस0यू0 (आर0ई0) 41 हिन्दी गजट/469–भाग 1–2010 (कम्प्यूटर/रीजियो)।

मुद्रक एवम् प्रकाशक–संयुक्त निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, उत्तराखण्ड, रुड़की।

पंजीकृत संख्या-यू0ए0 / डी0ओ0 / डी0डी0एन0 / 30 / 2009–11
(लाइसेन्स टू पोस्ट विदाउट प्रीपेमेन्ट)

सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

रुड़की, शनिवार, दिनांक 09 अक्टूबर, 2010 ई0 (आश्विन 17, 1932 शक सम्वत्)

भाग 1–क

नियम, कार्य–विधियां, आज्ञाएं, विज्ञप्तियां इत्यादि जिनको उत्तराखण्ड के राज्यपाल महोदय, विभिन्न विभागों के अध्यक्ष तथा राजस्व परिषद् ने जारी किया

HIGH COURT OF UTTARAKHAND, NAINITAL

NOTIFICATION

September 17, 2010

No. 401/UHC/Admin.A/2010--Sri Umesh Chandra Dhyani, District & Sessions Judge, Dehradun is attached as Officer on Special Duty with the High Court of Uttarakhand, Nainital, with immediate effect. However, he shall not handover the charge of the office of District & Sessions Judge, Dehradun, till further orders of this Court.

September 20, 2010

No. 402/UHC/Admin.A/2010--Pursuant to D.O. No. F/6/2010-SCA(1), dated 16.09.2010 of Secretary General, Supreme Court of India, New Delhi, Sri Ravindra Maithani, Registrar General, High Court of Uttarakhand, Nainital, has to handover charge of his present post to join as Registrar, Supreme Court of India, New Delhi, hence, Sri Umesh Chandra Dhyani, District & Sessions Judge, Dehradun (presently attached with High Court of Uttarakhand, Nainital as Officer on Special Duty), is posted as Registrar General, High Court of Uttarakhand, Nainital, *vice* Sri Ravindra Maithani.

September 20, 2010

No. 403/UHC/Admin.A/2010--Smt. Indira Ashish, Principal Secretary (Law)-cum-L.R., Government of Uttarakhand, Dehradun, is repatriated and posted as District & Sessions Judge, Dehradun, *vice* Sri Umesh Chandra Dhyani.

By Order of the Court,

Sd/-

RAVINDRA MAITHANI,

Registrar General.

September 24, 2010

No. 404/XIV-a-12/Admin.A/2009--Sri Ashok Kumar Maan, 1st Addl. Civil Judge (Jr. Div.), Dehradun, is hereby sanctioned medical leave for 15 days *w.e.f.* 25.08.2010 to 08.09.2010.

September 24, 2010

No. 405/UHC/XIV/64/Admin.A--Smt. Sujata Singh, Addl. District & Sessions Judge/F.T.C., Tehri Garhwal, is hereby sanctioned medical leave for 21 days *w.e.f.* 20.08.2010 to 09.09.2010.

By Order of Hon'ble the Administrative Judge,

Sd/-
PRASHANT JOSHI,
Registrar (Inspection).

कार्यालय परिवहन आयुक्त, उत्तराखण्ड
कुल्हाल, सहस्त्रंधारा रोड़, देहरादून

शुद्धि पत्र

दिनांक 29 सितम्बर, 2010

संख्या 3041/एसटीए/दस–1/2010–11–उत्तराखण्ड राज्य में यात्री किराया एवं माल भाड़े की दरों में वृद्धि से सम्बन्धित परिवहन आयुक्त/अध्यक्ष, राज्य परिवहन प्राधिकरण, उत्तराखण्ड, कार्यालय परिवहन आयुक्त, उत्तराखण्ड की विज्ञप्ति संख्या–2662/एसटीए/दस–1/2010–11, दिनांक 31–08–2010 के भाग–ख, विक्रम टैम्पो, ऑटो–रिक्शा एवं मोटर कैब वाहनों के लिये किराये की दरें के नीचे स्तम्भ–1 के क्रमांक–3 में टैक्सी कैब के सामने स्तम्भ–2 के क्रमांक–1 में आये शब्द एवं अंक "रुपये 9.00 एवं प्रतीक्षा भाड़ा आठ घण्टे या उससे कम के लिये रुपये 13.00" के स्थान पर शब्द एवं अंक "रुपये 9.00 एवं प्रतीक्षा भाड़ा आठ घण्टे या उससे कम के लिये रुपये 130.00 पढ़ा जायेगा।"

सुनीता सिंह,
सहायक परिवहन आयुक्त,
उत्तराखण्ड।

पी0एस0यू0 (आर0ई0) 41 हिन्दी गजट/469–भाग 1–क–2010 (कम्प्यूटर/रीजियो)।

मुद्रक एवम् प्रकाशक–संयुक्त निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, उत्तराखण्ड, रुड़की।

पंजीकृत संख्या–यू0ए0/डी0ओ0/डी0डी0एन0/30/2009–11
(लाइसेन्स टू पोस्ट विदाउट प्रीपेमेन्ट)

सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

रुड़की, शनिवार, दिनांक 09 अक्टूबर, 2010 ई0 (आश्विन 17, 1932 शक सम्वत्)

भाग 3

स्वायत्त शासन विभाग का क्रोड़–पत्र, नगर प्रशासन, नोटीफाइड एरिया, टाउन एरिया एवं निर्वाचन (स्थानीय निकाय) तथा पंचायतीराज आदि के निदेश जिन्हें विभिन्न आयुक्तों अथवा जिलाधिकारियों ने जारी किया

कार्यालय, आयुक्त, कुमाऊँ मण्डल,

हाट बाजार उपविधि

12 अगस्त, 2010 ई0

संख्या 1977/इक्कीस–7/2009–2010–उत्तर प्रदेश क्षेत्र समिति एवं जिला पंचायत अधिनियम, 1961 की धारा 239 की उपधारा (2) के खण्ड घ तथा घ के उपखण्ड (घ) व (ङ) के अन्तर्गत जिला पंचायत, नैनीताल द्वारा नैनीताल जिले के ग्रामीण क्षेत्रों (नगरपालिकाओं, नोटिफाइड एरिया, टाउन एरिया को छोड़कर) में सभी हाट बाजारों को नियंत्रित करने के लिए उपनियम बनाये गये हैं। जिनका संशोधित प्रकाशन गजट की विज्ञप्ति संख्या 90/इक्कीस–19/2004–2005, दिनांक 19–10–2005 में हुआ है, की दरों में निम्न संशोधन किया जाता है जो शासकीय गजट में प्रकाशित होने की तिथि से प्रभावी होंगी :–

क्र0 सं0	मद	पूर्व में निर्धारित दर	संशोधित उपनियम की दर
1.	मिर्च, गल्ला, धनिया, हल्दी, आटा, चावल, अड्डी, कपास व रूई, नमक आदि के थोक पर	10 रुपये प्रति सैकड़ा	20 रुपये प्रति सैकड़ा
2.	मिर्च, धनिया, हल्दी, नमक, गल्ला, आटा, चावल, अड्डी, कपास व रूई के फुटकर में	10 रुपये प्रति फड	20 रुपये प्रति फड
3.	घी थोक में	75 रुपये प्रति फड	150 रुपये प्रति फड
4.	घी फुटकर में	50 रुपये प्रति फड	100 रुपये प्रति फड
5.	गुड भेली	10 रुपये प्रति फड	20 रुपये प्रति फड
6.	जूता फरोस	10 रुपये प्रति फड	20 रुपये प्रति फड
7.	जूता गड़ने वाला	10 रुपये प्रति फड	20 रुपये प्रति फड
8.	बिस्कुट, मोमबत्ती खीमची में	10 रुपये प्रति फड	20 रुपये प्रति फड
9.	फल, तरबूज, खरबूज, आम तथा अन्य फल	10 रुपये प्रति फड	20 रुपये प्रति फड
10.	सब्जी फुटकर में	10 रुपये प्रति फड	20 रुपये प्रति फड
11.	सब्जी, आलू घुइयां, बैंगन आदि थोक में	10 रुपये प्रति फड	20 रुपये प्रति फड
12.	पटवा	10 रुपये प्रति फड	20 रुपये प्रति फड

क्र0 सं0	मद	पूर्व में निर्धारित दर	संशोधित उपनियम की दर
13.	नेचेबन्द	10 रुपये प्रति फड	20 रुपये प्रति फड
14.	मनिहार	10 रुपये प्रति फड	20 रुपये प्रति फड
15.	पतिया फरोस	10 रुपये प्रति फड	20 रुपये प्रति फड
16.	कुम्हार	10 रुपये प्रति फड	20 रुपये प्रति फड या गाड़ी
17.	टोकरी बांसी आदि	10 रुपये प्रति फड	20 रुपये प्रति फड
18.	नाई फड	10 रुपये प्रति फड	20 रुपये प्रति फड
19.	अचार मुरब्बा आदि	10 रुपये प्रति फड	20 रुपये प्रति फड
20.	1. भुर्जी	10 रुपये प्रति फड या खोमचा	20 रुपये प्रति फड या खोमचा
	2. भुर्जी फुटकर में	10 रुपये प्रति फड या खोमचा	20 रुपये प्रति फड या खोमचा
21.	मेवार फरोस	50 रुपये प्रति फड	100 रुपये प्रति फड
22.	दर्जी	50 रुपये प्रति फड	100 रुपये प्रति फड
23.	छीपी लिहाफ बेचने वाला	50 रुपये प्रति फड	100 रुपये प्रति फड
24.	कपड़े की दुकान बजाज	50 रुपये प्रति फड	100 रुपये प्रति फड
25.	बिसाती	50 रुपये प्रति फड	100 रुपये प्रति फड
26.	तेली	20 रुपये प्रति फड	50 रुपये प्रति फड
27.	तम्बोली	20 रुपये प्रति फड	50 रुपये प्रति फड
28.	हलवाई	20 रुपये प्रति फड	100 रुपये प्रति फड
29.	शारफी	50 रुपये प्रति फड	100 रुपये प्रति फड
30.	लोहार	10 रुपये प्रति फड	20 रुपये प्रति फड
31.	मछली व अण्डे	10 रुपये प्रति कांडिया	20 रुपये प्रति कांडिया
32.	पंसारी	50 रुपये प्रति फड	100 रुपये प्रति फड
33.	गन्ना फरोस	50 रुपये प्रति गाड़ी	100 रुपये प्रति गाड़ी
34.	जुलाहा	10 रुपये प्रति फड	20 रुपये प्रति फड
35.	बकरा फरोस	50 रुपये प्रति रास	100 रुपये प्रति रास
36.	बकरा कसाव	50 रुपये प्रति फड	100 रुपये प्रति फड
37.	कसेरा अल्मोनियम पीतल कलई के बर्तन	50 रुपये प्रति फड	100 रुपये प्रति फड
38.	कम्बल फरोस	10 रुपये प्रति फड	20 रुपये प्रति फड
39.	कसाई	75 रुपये प्रति फड	150 रुपये प्रति फड
40.	रजिस्ट्री मवेशी	75 रुपये प्रति फड	150 रुपये प्रति फड
41.	सोफे मेज आदि	50 रुपये प्रति फड	100 रुपये प्रति फड
42.	वान बाबड़	10 रुपये प्रति फड	20 रुपये प्रति फड
43.	चारपाई के पाये, हरस, हल आदि	10 रुपये प्रति फड	20 रुपये प्रति फड
44.	बीडी आदि के विज्ञापन	50 रुपये प्रति रिक्शा 75 रुपये प्रति कार	100 रुपये प्रति रिक्शा 150 रुपये प्रति कार
45.	सुअर कसाव	75 रुपये प्रति फड	150 रुपये प्रति फड
46.	चटाई	50 रुपये प्रति चटाई	100 रुपये प्रति चटाई
47.	चाय, सोडा लेमन, मलाई, बर्फी, आइसक्रीम आदि	10 रुपये प्रति पेटी	20 रुपये प्रति पेटी
48.	तम्बाकू, सूती, पान का तम्बाकू आदि	10 रुपये प्रति फड	20 रुपये प्रति फड
49.	मुर्गी, बत्तख	10 रुपये प्रति अदद	20 रुपये प्रति अदद
50.	चाट खोमचा	10 रुपये प्रति खोमचा	20 रुपये प्रति खोमचा
51.	घास	10 रुपये प्रति गाड़ी या खोमचा	20 रुपये प्रति गाड़ी या खोमचा
52.	लकड़ी का गठ्ठा	75 रुपये प्रति गाड़ी	150 रुपये प्रति गाड़ी
53.	खोमचा पान बीडी, सिगरेट आदि	50 रुपये प्रति फड	100 रुपये प्रति फड

क्र0 सं0	मद	पूर्व में निर्धारित दर	संशोधित उपनियम की दर
54.	इमारती लकड़ी चौखट आदि	50 रुपये प्रति फड	100 रुपये प्रति फड
55.	बतासे, खिलौना, खाड़ आदि	10 रुपये प्रति फड	20 रुपये प्रति फड
56.	रेवड़ी गजक आदि	10 रुपये प्रति खोमचा	20 रुपये प्रति खोमचा
57.	लाटरी बेचने वाला	10 रुपये प्रति बाजार	20 रुपये प्रति बाजार

दण्ड

उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायत अधिनियम, 1961 की धारा 240 के अधीन प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए जिला पंचायत, नैनीताल यह निर्देश देती है कि जो व्यक्ति इन उपविधियों का उल्लंघन करेगा, अर्थदण्ड से दण्डनीय होगा जो 1000 रु0 तक होगा और यदि ऐसा उल्लंघन जारी रहे तो अतिरिक्त अर्थ दण्ड से दण्डित होगा, जो प्रथम दोषसिद्ध होने के पश्चात् ऐसे प्रत्येक दिन के लिए जिसके बारे में यह सिद्ध हो जाऐ कि उसमें अपराधी अपराध करता रहा, 50 रु0 प्रतिदिन हो सकेगा अथवा यदि अर्थ दण्ड का भुगतान न किया जाय तो कारावास से दण्डित किया जाऐगा जो तीन मास तक हो सकेगा।

कुणाल शर्मा,
आयुक्त।

अपर मुख्य अधिकारी,
जिला पंचायत, नैनीताल।

पी0एस0यू0 (आर0ई0) 41 हिन्दी गजट/469–भाग 3–2010 (कम्प्यूटर/रीजियो)।

मुद्रक एवम् प्रकाशक–संयुक्त निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, उत्तराखण्ड, रुड़की।